"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2013—फाल्गुन 17, शक 1934

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 08 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-108/18/2012.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम, 1956 (कमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 58 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (कमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 सहपठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2013" कहलायेंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा.**— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; —

   (क) "**अधिनियम**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रं. 23 सन् 1956) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (कमांक 37 सन् 1961);

(ख) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी जो अनुसूची–एक के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है;

(ग) **"कर्मचारी"** से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति;

(घ) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(ङ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(च) **"नगरीय निकाय"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के अधीन गठित कोई भी नगरपालिक निगम या यथास्थिति छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अधीन गठित नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत

(छ) **"अन्य पिछड़ा वर्ग"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रं. एफ 8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न अनुसूची;

(झ) **"शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग"** से अभिप्रेत है नगरपालिक निगम द्वारा उसके नियंत्रण के अधीन स्कूलों में पढ़ाने के लिए नियुक्त व्यक्ति;

(ञ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ट) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ठ) **"स्थायी समिति"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के अनुसार गठित की गई मेयर–इन–कौंसिल तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अधीन गठित की गई यथास्थिति नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत की प्रेसीडेण्ट–इन–कौंसिल;

(2) शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु जो परिभाषित नहीं है का वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम में परिभाषित है।

3. **विस्तार तथा लागू होना**:– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन**:– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों;

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों;

5. वर्गीकरण तथा वेतनमानः— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होगाः

परन्तु राज्य सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. भर्ती का तरीका.— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—

(क) मेरिट\ द्वारा या प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन के माध्यम से अथवा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेश/निर्देश के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (2) में दर्शित है।

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) सीधी भर्ती तथा पदोन्नति का प्रतिशत, अनुसूची–दो के कॉलम (3) तथा (4) के अनुसार होगा।

(3) सीधी भर्ती तथा पदोन्नति हेतु पात्रता, अनुसूची–तीन तथा अनुसूची–चार में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार होगी।

(4) शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रं. 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखा जायेगा।

(5) राज्य शासन के नियमों के अनुसार, महिलाओं, निःशक्त व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा ऐसे अन्य वर्गों हेतु पद आरक्षित रखे जायेंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जायेः

परंतु विज्ञापन/सूचना की प्रति, जिला रोजगार कार्यालय, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और महानिदेशक पुनर्वास को भेजने के पश्चात् भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों हेतु यदि कोई उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध न हो तो उपरोक्त पद अन्य श्रेणी के अभ्यार्थियों से भरे जायेंगे।

(6) **शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के पद** —

(एक) क्षेत्र में बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में से कम से कम किसी एक समाचार पत्र में विज्ञापित किये जायेंगे;

(दो) स्थानीय रोजगार कार्यालय में अधिसूचित किये जायेंगे; और

(तीन) यथास्थिति संबंधित नगरपालिक निगम/नगरपालिका कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

(7) विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जायेगी:—

(क) व्याख्याता/शिक्षक/सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) के आवेदन पत्रों की छानबीन के लिए निम्नानुसार समिति गठित की जायेगी :—

(एक) क्षेत्रीय संयुक्त संचालक/उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास–अध्यक्ष

(दो) जिला शिक्षा अधिकारी अथवा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास —सदस्य

(तीन) संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी –सदस्य सचिव

परंतु यह कि नगरपालिक निगम में आयुक्त पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थ होने पर उनके द्वारा नगरपालिक निगम के वरिष्ठतम प्रथम श्रेणी अधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(ख) यदि शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र, उपलब्ध पदों की संख्या से कम है तो चयन, पात्र अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। इसके लिए चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा तथा इन अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार नहीं होंगे।

(ग) यदि पात्र अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र, विज्ञापित पदों से अधिक है तो चयन, मेरिट के आधार पर अथवा प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अथवा राज्य शासन द्वारा जारी आदेश/निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

(घ) चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जायेगा।

(ङ) **चयन के लिए परीक्षा की प्रक्रिया**:– यदि राज्य सरकार उपरोक्त खण्ड (ग) में यथा उल्लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोई आदेश/निर्देश जारी करती है तो ऐसी परीक्षा की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:–

(एक) आवेदन पत्र, विहित प्रारूप में प्रस्तुत किये जायेंगे;

(दो) परीक्षा के पूर्व किसी भी प्रकार की छानबीन नहीं की जायेगी। अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी होगी कि वे परीक्षा मे बैठने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने विहित अर्हता प्राप्त कर ली है;

(तीन) चयन परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तरों के लिए चार विकल्प दिये जायेंगे;

(चार) परीक्षा की समयावधि दो घण्टे की होगी;

(पांच) लिखित परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया जायेगा। परिणाम के साथ आदर्श उत्तर पत्र भी प्रकाशित किया जायेगा;

(छः) जहां तक संभव हो, परीक्षा एक ही तिथि और समय पर आयोजित की जायेगी। परीक्षा आयोजन का स्तर (स्थानीय/जिला/राज्य) तथा समय सारिणी, राज्य शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी;

(सात) आवेदकों से परीक्षा शुल्क लिया जा सकेगा;

(आठ) परीक्षा, किसी नियुक्ति प्राधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा राज्य शासन के अनुमोदन से चयनित किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित की जा सकेगी;

(नौ) चयन सूची, मेयर–इन–कौंसिल/प्रेसीडेण्ट इन कौंसिल को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी। यदि मेयर–इन–कौंसिल/प्रेसीडेण्ट–इन–कौंसिल पन्द्रह दिन के अन्दर नियुक्ति आदेश जारी करने में असफल रहते हैं, तो संबंधित नगरपालिका आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी;

(दस) प्रतीक्षा सूची सहित सम्पूर्ण चयन सूची, परीक्षा परिणाम की घोषणा अथवा मेरिट सूची के आधार पर चयन होने पर तैयार की गयी अंतिम सूची के

प्रकाशन की तिथि के पश्चात् एक वर्ष के लिए विधिमान्य रहेगी तथा इस अवधि में नये पदों की स्वीकृति या किसी भी कारण से रिक्त पदों की पूर्ति, इस प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी;

(ग्यारह) आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नगरीय निकाय के सूचना पटल पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों की मेरिट सूची प्रदर्शित की जायेगी;

(बारह) अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों तथा अन्य (छूट प्राप्त) अभ्यर्थियों की श्रेणीवार, विषयवार एवं विषय समूहवार मेरिट सूची पृथक से प्रकाशित की जायेगी;

(तेरह) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के अधीन राज्य शासन द्वारा विहित किये रोस्टर तथा नगरपालिक निगम एवं नगरपालिका द्वारा यथास्थिति संधारित रोस्टर के आधार पर चयन सूची से नियुक्ति की जायेगी।

(8) नगरपालिक निगम एवं नगरीय निकाय द्वारा चयन तथा नियुक्ति का कार्य, सामान्यतः ग्रीष्मावकाश के दौरान शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व किया जायेगा।

7. **अनुकम्पा नियुक्तिः**— नियम 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के ऐसे अतिरिक्त पद स्वीकृत कर सकेगी जैसा कि वह ठीक समझेः

परन्तु पात्र अभ्यर्थियों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कलेक्टर की अनुशंसा पश्चात् दी जा सकेगी।

8. **परिवीक्षा.**— (1) शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के पद पर, सीधी भर्ती में चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी, स्कूल विशेष में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

(2) प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के कर्मचारी के कार्य का आंकलन करेगा।

(3) दो वर्ष की परिवीक्षा पश्चात् शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के कर्मचारी के कार्य तथा आचरण के आधार पर, नगरपालिका परिवीक्षा अवधि समाप्त कर सकेगी। यदि शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो, परिवीक्षा अवधि एक से तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् बढ़ाई गई कालावधि समापन पश्चात् उनके कार्य का आंकलन किया जायेगा। यदि फिर भी उनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगीः

परन्तु, शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के नियुक्त कर्मचारी परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ही वेतन वृद्धि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

9. **पदोन्नतिः**— (1) अनुसूची-चार में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति की जायेगी।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध, आवश्यक परिवर्तन सहित शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग की पदोन्नति के लिए लागू होंगे।

10. **अनुशासन एवं नियंत्रण.**— शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के यथास्थिति, संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगरपालिक अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होंगे। दीर्घशास्ति के लिए यथास्थिति संबंधित नगरीय निकाय की मेयर–इन–कौंसिल या प्रेसीडेण्ट–इन–कौंसिल तथा लघुशास्ति के लिए आयुक्त/मुख्य नगरपालिक अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे। दीर्घशास्ति के अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में, आयुक्त/मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा मेयर–इन–कौंसिल/प्रेसीडेण्ट–इन–कौंसिल को प्रकरण प्रस्तुत किये जायेंगे। यदि मेयर–इन–कौंसिल/प्रेसीडेण्ट–इन–कौंसिल 15 दिन के अंदर प्रकरण में निर्णय लेने में असफल रहते हैं तो जिस रूप में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, उसी रूप में आयुक्त/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रकरण वापस लिया जा सकेगा तथा इसके पश्चात् आयुक्त/मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जा सकेगा।

11. **सेवा की समाप्ति.**— शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के कर्मचारी की सेवाएं या तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के कर्मचारी को अथवा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में एक मास की सूचना देकर या कर्मचारी द्वारा एक मास के वेतन का भुगतान करने पर, किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

12. **सेवा की सामान्य शर्तें.**— उपरोक्त उल्लिखित से भिन्न सेवा की शर्तें वही होंगी जो संबंधित नगरीय निकाय के कर्मचारियों पर लागू हो।

13. **अपील.**— इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश की अपील, अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

14. **निर्वाचन.**— इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

15. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गयी किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसको ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे उचित और न्यायसंगत प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

16. **निरसन और व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप–सचिव.

अनुसूची–एक

[नियम 2(ख) देखिये]

स.क्र.	शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	व्याख्याता (नगरीय निकाय)	रू. 5300–150–8300	मेयर–इन–कौंसिल तथा प्रेसीडेंट–इन–कौंसिल के अनुमोदन से साथ यथास्थिति आयुक्त अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी।
2.	शिक्षक (नगरीय निकाय)	रू. 4500–125–7000	
3.	सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय)	रू. 3800–100–5800	

टीप:— 1. प्रत्येक शाला के लिये शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के विभिन्न श्रेणियों के पदों की संख्या, यथास्थिति, उनके जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा अवधारित किया जायेगा।

2. राज्य सरकार, प्रमाणित प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रत्येक नगरीय निकाय के लिए शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के पदों को समय–समय पर अनुमोदित करेगी।

अनुसूची— दो

[नियम 6(2) देखिये]

स.क्र.	शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत	
		सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	व्याख्याता (नगरीय निकाय)	50	50
2.	शिक्षक (नगरीय निकाय)	50	50
3.	सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय)	100	—

टीपः— 1. शालाओं में यथास्थिति शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग की सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से भरे जाने वालें पदों का आंकलन यथास्थिति उप संचालक शिक्षा या सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा किया जाएगा।

2. नियमानुसार यदि पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो पदोन्नति के पद भी सीधी भर्ती से भी भरे जायेंगे। तथापि, यदि अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए अपेक्षित अर्हता प्राप्त कर लेता है तो उन्हें संबंधित विषय अथवा विशेष संकाय में स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत तक पदोन्नति दी जायेगी। उनके लिये अधिसंख्य (सुपरन्यूमरेरी) पद स्वीकृत माने जायेंगे तथा जिस पद से पदोन्नति हुई है वह यह पद उनकी पदोन्नति के पश्चात् अधिसंख्य (सुपरन्यूमरेरी) पद से नियमित स्वीकृत पद पर समायोजन हेतु रिक्त रखा जायेगा। अधिसंख्य (सुपरन्यूमरेरी) पदों को भविष्य में रिक्त होने वाले पदोन्नति के पदों के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

अनुसूची– तीन
[नियम 6 (3) देखिये]

स.क.	शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शैक्षणिक अर्हता	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	व्याख्याता (नगरीय निकाय)	21 वर्ष	35 वर्ष	संलग्न परिशिष्ट के अनुसार	मेयर–इन–कौंसिल अथवा प्रेसीडेंट–इन–कौंसिल के अनुमोदन से साथ यथास्थिति, आयुक्त अथवा नगर पालिक अधिकारी।
2.	शिक्षक (नगरीय निकाय)	21 वर्ष	35 वर्ष	संलग्न परिशिष्ट के अनुसार	
(क)	शिक्षक (नगरीय निकाय) व्यावसायिक पाठ्यक्रम	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम में डिग्री/डिप्लोमा तथा शिक्षा विज्ञान में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)	
(ख)	शिक्षक (नगरीय निकाय) संगीत	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ संगीत विषय में डिग्री/डिप्लोमा तथा शिक्षा विज्ञान में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)	
(ग)	शिक्षक (नगरीय निकाय) शारीरिक शिक्षा	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा विषय में डिग्री/डिप्लोमा	
(घ)	शिक्षक (नगरीय निकाय) तबला	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ तबला विषय में डिग्री /डिप्लोमा तथा शिक्षा विज्ञान में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)	
(ङ)	शिक्षक (नगरीय निकाय) ग्रंथपाल	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि या स्नातक एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में एक वर्षीय डिप्लोमा	
3.	सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय)	18 वर्ष	35 वर्ष	संलग्न परिशिष्ट के अनुसार	
(क)	सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) प्रयोगशाला	18 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ विज्ञान विषय में उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये) ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ख)	सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) उर्दू	18 वर्ष	35 वर्ष	उर्दू विषय के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा एवं जामिया–उर्दू–अलीगढ़ से अदीब–ए–माहिर प्रमाण पत्र एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये) तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण	मेयर–इन–कौंसिल अथवा प्रेसीडेंट–इन–कौंसिल के अनुमोदन से साथ यथास्थिति, आयुक्त अथवा नगर पालिक अधिकारी।
(ग)	सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) शारीरिक शिक्षा	18 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा का प्रमाण–पत्र	

टीपः– (1) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए समय–समय पर आयु सीमा के संबंध में प्रदान की गई सभी प्रकार की छूट शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के लिए भी लागू होगी। औपचारिकेत्तर शिक्षा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कार्य कर चुके पर्यवेक्षकों/अनुदेशकों को सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) के पद के विरूद्ध भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 15 (पन्द्रह) वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।

(2) राज्य शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों की नियुक्ति के लिए दी गई प्राथमिकता भी लागू होंगी।

(3) सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) के मामले में किसी भी नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के स्वीकृत पदों में से कम से कम 30% पद विज्ञान संकाय से भरे जायेंगे।

(4) व्याख्याता (नगरीय निकाय) एवं शिक्षक (नगरीय निकाय) की नियुक्ति हेतु विहित शैक्षणिक अर्हता में उल्लिखित समकक्षता के संबंध में विस्तृत विवरण परिशिष्ट में दर्शित है।

(5) शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग की मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती के लिए आवेदको की शैक्षणिक अर्हता अर्थात् 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं बी.एड/डी.एड में प्राप्त अंकों के आधार पर अधिमान्यता दी जायेगी:–

(एक) सहायक शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति के लिए, 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक, बी.एड./डी. एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक तथा टी.ई.टी. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक।

(दो) शिक्षक (नगरीय निकाय) की नियुक्ति के लिए, 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक, बी.एड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक तथा टी.ई.टी. परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक तथापि, ऐसे आवेदक, जिन्होंने चार वर्षीय एकीकृत शिक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उन्हें स्नातक अथवा बी.एड. में प्राप्त पृथक–पृथक अंकों के स्थान पर कुल प्राप्तांक के प्रतिशत पर 65 अंक दिये जायेंगे।

अनुसूची– चार
(नियम 9 देखिये)

स.क.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए पात्रता तथा अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शिक्षक (नगरीय निकाय)	व्याख्याता (नगरीय निकाय)	संलग्न परिशिष्ट के अनुसार व्याख्याता (नगरीय निकाय) हेतु न्यूनतम अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता तथा उस पद पर न्यूनतम 7 वर्ष का अध्यापन का अनुभव	1. क्षेत्रीय संयुक्त संचालक/उप संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नाम निर्दिष्ट उप संचालक की श्रेणी से अनिम्न का नामिती – , अध्यक्ष 2. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास – सदस्य 3. संबंधित नगरपालिका के आयुक्त/ मुख्य नगरपालिक अधिकारी, – सदस्य सचिव
2.	सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय)	शिक्षक (नगरीय निकाय)	संलग्न परिशिष्ट के अनुसार शिक्षक (नगरीय निकाय) हेतु न्यूनतम अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता तथा उक्त पद पर न्यूनतम 7 वर्ष का अध्यापन का अनुभव	

टीप :– यदि नगरपालिक निगम में आयुक्त पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थ होने पर उनके द्वारा नगरपालिक निगम के वरिष्ठतम प्रथम श्रेणी अधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकेंगे।

परिशिष्ट

व्याख्याता (नगरीय निकाय), शिक्षक (नगरीय निकाय) एवं सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) हेतु विहित शैक्षणिक योग्यता तथा समकक्षता के संबंध में विवरण

(अ) व्याख्याता (नगरीय निकाय) हेतु न्यूनतम अर्हताएं :–

शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता:– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी.एड. की उपाधि:–

क्र.	विषय	विषय समूह
1.	अंग्रेजी	अंग्रेजी
2.	हिन्दी	हिन्दी
3.	भौतिकी	भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/एप्लाइड भौतिकी/न्यूक्लियर भौतिकी
4.	रसायन शास्त्र	रसायन/बायोकेमेस्ट्री
5.	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र/एप्लाइड अर्थशास्त्र/बिजनेस अर्थशास्त्र
6.	वाणिज्य	एकाउन्टेंसी सहित वाणिज्य/कास्ट एकाउटिंग/फाइनेन्शियल एकाउन्टेंसी एक मुख्य विषय हो ।
7.	गणित	गणित/एप्लाइड गणित
8.	जीवविज्ञान	वनस्पति शास्त्र/प्राणीशास्त्र/मानव विज्ञान (लाइफसाइन्स)/जैविकी/अनुवांशिकी (जेनेटिक्स)/सूक्ष्म जैविकी (माइक्रोबायोलॉजी)/जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)/आणविक जीव विज्ञान (मालिकुलर बायोलॉजी)/पादप कार्यिकी (प्लान्ट सॉयकोलॉजी) अथवा स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो ।
9.	भूगोल	भूगोल
10	समाजशास्त्र	समाजशास्त्र
11	मनोविज्ञान	मनोविज्ञान
12	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान
13	कृषि	कृषि
14	व्यावसायिक गणित	व्यावसायिक गणित
15	कम्प्यूटर साईस	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई./बी.टेक. (कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रोद्योगिकी) या बी.ई./बी.टेक. (किसी भी ब्रांच से) में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ और कम्प्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
16	इतिहास	इतिहास/भारतीय प्राचीन इतिहास
17	राजनीति विज्ञान	राजनीति विज्ञान/लोक प्रशासन
18	संस्कृत	एम.ए. संस्कृत/एम.ए.(क्लासिक्स)/संस्कृत में (आचार्य) स्नातकोत्तर उपाधि

(ब) शिक्षक (नगरीय निकाय) हेतु न्यूनतम अर्हताएं :–

शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नलिखित योग्यता हो :–

(क) स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा विज्ञान (बी.एड.) में एक वर्षीय डिग्री।

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा विज्ञान (बी.एड.) में एक वर्षीय डिग्री जो समय–समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार किया जाना चाहिए।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा (बी.एल.एड.) में 4 वर्षीय स्नातक ।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) बी.ए. (एड.)/तथा बी.एस.सी. (एड.) या बी.ए. (एड.)/ बी.एस.सी. (एड.) में 4 वर्षीय स्नातक।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)।

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए दिशा–निर्देश के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण।

(ग) उपरोक्त स्नातक उपाधि में स्नातक विषय निम्नानुसार होंगे :–

स.क्र.	विषय	विषय समूह
(1)	(2)	(3)
1	अंग्रेजी	अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो
2	हिन्दी	हिन्दी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो
3	सामाजिक विज्ञान	कोई दो विषय – इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान, इनमें से एक भूगोल या इतिहास विषय अनिवार्य होगा ।
4	विज्ञान	रसायन शास्त्र, बायोकेमेस्ट्री, फॉर्मेसी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान तथा भू–विज्ञान, इंजीनियरिंग में स्नातक
5	संस्कृत	संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा बी.ए. (क्लासिक्स) अथवा संस्कृत में स्नातक उपाधि।
6	गणित	गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई दो विषय:– भौतिकी/रसायन शास्त्र/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर साईंस/ सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान एवं भू–विज्ञान। अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक अर्थात् बी.ई./बी.टेक.।
7	लाईब्रेरियन	लाईब्रेरी साईंस में उपाधि या स्नातक एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से लाईब्रेरी साईंस में एक वर्षीय डिप्लोमा।

(स) सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) हेतु न्यूनतम अर्हताएं :–

(1) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा (बी.एल.एड.) में स्नातक

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त की गई होनी चाहिए।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष)।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक(अथवा इसके समकक्ष)तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा।

तथा

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये दिशा निर्देश के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) उत्तीर्ण।

टीप :–

1. **आरक्षण नीति** :– आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से निःशक्त श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को अर्हित अंको में 5% तक की छूट दी जायेगी।

2. **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में शिथिलता** :– यदि सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) एवं शिक्षक (नगरीय निकाय) की नियुक्ति में डी.एड. एवं बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जायेगी :–

   (क) कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो)।

   (ख) कक्षा छठवीं से आठवीं तक अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान में एक वर्षीय उपाधि (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो)।

   उपरोक्त छूट 31 मार्च 2014 तक प्रभावशील रहेगी । ऐसी शिथिलता के फलस्वरूप, नयुक्त शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर न्यूनतम अर्हता ग्रहण करनी होगी ।

2–क. यदि व्याख्याता (नगरीय निकाय) के पद पर नियुक्ति के लिए बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो ऐसे मामलों में छूट दी जा सकेगी, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर बी.एड. पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी।

3. **शक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में न्यूनतम प्राप्त अंक :—**

(क) उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष आवेदकों को कक्षा पहली से पांचवीं में अध्यापन के लिए न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना होगा।

(ख) स्नातक आवेदकों को कक्षा छठवीं से आठवीं में अध्यापन के लिये न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना होगा।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से निःशक्त के उच्चतर माध्यमिक (या समकक्ष) तथा स्नातक आवेदकों को 50% अंक प्राप्त करना होगा।

रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2013

क्रमांक एफ 4—108/18/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना एफ 4—108/18/2012, दिनांक 08—03—2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप—सचिव.

Raipur, the 8th March 2013

NOTIFICATION

No. F 4-108/18/2012.— In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 58 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 95 read with section 355 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following rules, namely:-

RULES

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) These rules may be called the Chhattisgarh Shikshak (Nagariya Nikay) Samvarg (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2013.

   (2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires;-

   (a) "**Act**" means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961);

   (b) "**Appointing Authority**" mean such authority as specified in column (4) of Schedule-I;

   (c) "**Employee**" means a person appointed under these rules;

   (d) "**Examination**" means the competitive examination held for recruitment to the service;

   (e) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

   (f) "**Municipality**" means any Municipal Corporation constituted under the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 or as the case may be, any Municipal Council or Nagar Panchayat constituted under the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961;

   (g) "**Other Backward Classes**" means the Other Backward Classes as specified by the State Government vide Notification No. F. 8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

   (h) "**Schedule**" means the Schedule appended to these rules;

   (i) "**Shikshak (Municipal) Cadre**" means the person appointed by the Municipal Corporation and Municipalities for teaching in the schools under its control;

   (j) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (k) "**Scheduled Tribes**" means Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

   (l) "**Standing Committee**" means the Mayor-in-Council constituted in terms of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 and President-in-Council, as

the case may be, the Municipal Council or Nagar Panchayat, constituted under the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall carry the same meaning as defined in the Act.

3. **Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service:-** The service shall consist of the following persons, namely :–

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding in officiating capacity or regular the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification and scale of pay.-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the State Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. **Methods of recruitment.-**(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) Direct recruitment through selection by merit or by competitive examination or as per the order/directions issued by the State Government, from time to time;

(b) By promotion of the members of the service as shown in column (2) of Schedule-IV;

(c) By transfer of such persons, who hold in a regular basis, such posts in services as may be specified in this behalf by the State Government.

(2) The percentage of direct recruitment and promotion shall be shown in column (3) and (4) of Schedule-II.

(3) The eligibility for direct recruitment and promotion shall be shown in the condition specified in Schedule-III and Schedule-IV.

(4) For direct recruitment of Shikshak (Municipal) Cadre, the posts shall be reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyaon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(5) As per the rules of the State Government, posts shall be reserved for women, disabled persons, ex-servicemen and such other categories as specified by the State Government, from time to time:

Provided that after sending the copy of the notice/advertisement for appointment to the District Employment Exchange, District Ex-Serviceman Welfare

Board and Director General of Rehabilitation for the reserved post of Ex-servicemen, if suitable candidates are not available then above posts shall be filled up by the candidates of other category.

(6) Post of Shikshak (Municipal) Cadre shall be -

(i) advertised in atleast one of the daily newspaper widely circulation in the area;

(ii) notified in local employment office; and

(iii) displayed on the notice board of the concerned Municipality Corporation/ Municipalities, as the case may be.

(7) The following screening committee shall be constituted for the scrutiny of the application forms received in the prescribed proforma:-

(a) For the scrutiny of the applications of Lecturer/ Teacher/Assistant Teacher (Municipal), a committee shall be constituted as follows:-

(i)	Regional Joint Director/Deputy Director, Urban Administration and Development	Chairman
(ii)	District Education Officer or Assistant Commissioner Tribal Welfare (Member)	Member
(iii)	Municipal Commissioner or Chief Municipal Officer concerned	Member-Secretary

Provided that if the incumbent Municipal Commissioner is an Officer of the Indian Administrative Service, he may nominate the senior-most Class-I Officer of the Municipal Corporation as a Member-Secretary.

(b) If the applications received from the eligible candidates for the posts of Shikshak (Municipal) Cadre are less than the number of available posts then the selection shall be made on the basis of the marks obtained by the eligible candidates. For this selection shall be made on the basis of merit and there shall be no written examination and interview for these candidates.

(c) If the applications received from the eligible candidates are more than the advertised posts, then the selection shall be made on the basis of merit or by competitive examination or as per the order/instructions issued by the State Government.

(d) There shall be no interview in selection process. The selection shall be made on the basis of marks obtained in the written examination.

(e) Procedure of examination for selection:– If the State Government issues any order/instruction for competitive examination as mentioned in clause (c) above then the procedure for such examination shall be as follows:-

(i) Applications shall be submitted in the prescribed form;

(ii) Prior to examination no scrutiny shall be done. It shall be the responsibility of the candidates before appearing in the examination to ascertain that they posses the prescribed qualification;

(iii) Selection examination shall consist of objective questions of 100 marks. Four alternative answers to each question shall be given;

(iv) Examination shall be of two hours duration ;

(v) The results of the written examination shall be published. Model answers shall also be published with results;

(vi) Examination shall be conducted on the same date and time, as far as possible. standard for conducting examination (Local/City/State) and time table shall be determined by the State Government;

(vii) Examination fee may be taken from applicants;

(viii) Examination may be conducted by any Appointing Authority/any other institution selected by the Appointing Authority with the approval of the State Government;

(ix) Selection list shall be submitted for approval to the Mayor-in-Council/President-in-Council. If the Mayor-in-Council/President-in-Council fails to issue appointment orders within fifteen days, then the Commissioner/Chief Municipal Officer of the concerned municipality shall perform the appointment process;

(x) The entire selection list together with the waiting list shall be valid for one year after the declaration of the examination result or if selection is based on merit list, then the date of publication of the final list and new posts sanctioned or posts lying vacant because of any reason during this period may be filled by this waiting list;

(xi) The Commissioner/Chief Municipal Officer shall display on the Notice Board of the Municipality the grade-wise Merit List of the candidates;

(xii) The merit list shall be published separately grade-wise, subject-wise and subject-group-wise of the qualified candidates and other (exempted/relaxed) candidates;

(xiii) The appointment shall be made from the select list on the basis of roster prescribed by the State Government under the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyaon Aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994), and the roster maintained by the Municipal Corporation and Municipalities, as the case may be.

(8) In general the work of selection and appointment shall be completed by Municipal Corporation and Municipalities, during the summer vacation before beginning of academic session.

7. **Compassionate appointment.-** Notwithstanding anything contained in Rule 5, the State Government may sanction additional posts of Shikshak (Municipal) Cadre as it may deem fit:

Provided that eligible candidates may be given appointment on compassionate ground after the recommendation of the Collector.

8. **Probation.-** (1) Every candidate selected to the post of Shikshak (Municipal) Cadre by direct recruitment shall be appointed in a particular school for a period of two years on probation which may be extended upto five years.

(2) At the end of every year the Appointing Authority shall assess the work of Shikshak (Municipal) Cadre.

(3) After the probation of two years, on the basis of conduct and work of Shikshak (Municipal) Cadre, the Municipality may terminate the probation period. In case the work of Shikshak (Municipal) Cadre is not found satisfactory then the probation period may be extended from one to three years. Thereafter their work shall be assess after the end of the extended period. If there services are not found satisfactory their services shall be terminated:

Provided that the appointed Shikshak (Municipal) Cadre shall be entitled for increments employee only after completion of probation period.

9. **Promotion.** — (1) Promotions shall be made by the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-IV.

(2) The provisions of the Chhattisgarh Lok Sewa (Padonati) Niyam, 2003, with necessary changes shall be applicable for the promotion of the Shikshak (Municipal) Cadre.

10. **Discipline and control:**—The Shikshak (Municipal) Cadre shall be under the administrative control of the Commissioner / Chief Municipal Officer of the Municipality, as the case may be. The Mayor-in-Council or the President-in Council of the concerned Municipality shall be the disciplinary authority for long-term and the Commissioner / Chief Municipal Officer shall be the disciplinary authority for short-term. In respect of long-term disciplinary matters, the Commissioner / Chief Municipal Officer shall present the cases to the Mayor-in-Council / President-in-Council. If within fifteen days the Mayor-in-Council / President-in-Council fails to take a decision in the case, then the case shall be taken back by the Commissioner/Chief Executive Officer in the same form as it was submitted and it shall thereafter be disposed of by the Commissioner/Chief Municipal Officer.

11. **Termination of service.** — Services of the Shikshak (Municipal) Cadre may be terminated by giving one month notice in writing by the employee to the Appointing Authority or by Appointing Authority to Shikshak (Municipal) Cadre or by the depositing one month salary by the employee.

12. **General conditions of service.** — Conditions of service other than mentioned shall be the same as applicable to the employees of the urban body concerned.

13. **Appeal.** — Any order passed under these rules shall be appealed in accordance with the provisions contained in the Act.

14. **Interpretation.** — If any question arises relating to the interpretation of these rules, the same shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

15. **Relaxation.** — Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and proper:

Provided that any case shall not be dealt in within any manner less favourable to him than that provided in these rules.

16. **Repeal and savings.**— All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I
[See Rule 2(b)]

S. No.	Shikshak (Municipal) Cadre	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lecturer (Municipal)	Rs.5300-150-8300	Commissioner or Chief Municipal Officer, as the case may be, with approval of the Mayor-in-Council or the President-in-Council
2.	Teacher (Municipal)	Rs.4500-125-7000	
3.	Assistant Teacher (Municipal)	Rs.3800-100-5800	

Note- 1. Number of posts of different grades of Shikshak (Municipal) Cadre for each school shall be determined by their District Education Officer or by the Assistant Commissioner, Tribal Welfare, as the case may be.

2. On receipt of certified proposals, the State Government shall approve posts of Shikshak (Municipal) Cadre for each Municipality, from time to time.

SCHEDULE-II

[See Rule 6 (2)]

S. No.	Shikshak (Municipal) Cadre	Percentage of the number of posts to be filled in	
		By direct appointment	By promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lecturer (Municipal)	50	50
2.	Teacher (Municipal)	50	50
3.	Assistant Teacher (Municipal)	100	-

Note: 1. The posts filled up by direct recruitment and promotion of the Shikshak (Municipal) Cadre in the School, as may be necessary, shall be valued by the Deputy Director of Education or the Assistant Commissioner, Tribal Development, as the case may be.

2. As per rule if candidate is not available for promotion then the posts of the promotion shall also be filled up by direct recruitment. However, if candidate attains the required qualification for promotion then they shall be given promotion upto 50 percent of sanction posts in related subject and special faculty. Super-numery posts shall be sanctioned for them and promoted from which post, after promotion that post shall be vacant for adjustment to regular sanctioned post from super numerary posts. Super numerary posts shall be adjusted against the posts of promotion to be vacant in future.

SCHEDULE-III
[See Rule 6 (3)]

Sl. No	Shikshak (Municipal) Cadre	Minimum Age	Maximum Age	Educational Qualification	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Lecturer (Municipal)	21 years	35 years	According to the Annexure as appended.	Commissioner or Chief Municipal Officer, as the case may be, with approval of the Mayor-in-Council or the President-in-Council
2.	Teacher (Municipal)	21 years	35 years	According to the Annexure as appended	
(a)	Teacher (Municipal) Vocational Course	21 years	35 years	Degree/ Diploma in Vocational Course with minimum of 50% marks from any recognized University and 1 year graduation (B.Ed) in Education Science	
(b)	Teacher (Municipal) Music	21 years	35 years	Degree/ Diploma in Music subject with minimum of 50% marks from any recognized University and 1 year graduation (B.Ed.) in Education Science	
(c)	Teacher (Municipal) Physical Education	21 years	35 years	Degree/ Diploma in Physical Education subject with minimum of 50% marks from any recognized University	
(d)	Teacher (Municipal) Tabla	21 years	35 years	Degree/ Diploma in Table subject with minimum of 50% marks from any recognized University and 1 year graduation (B.Ed) in Education Science	
(e)	Teacher (Municipal) Librarian	21 years	35 years	Degree in Library Science from recognized University or Graduate and 1 year Diploma in Library Science from any recognized institute.	
3.	Assistant Teacher (Municipal)	18 years	35 years	According to the Annexure as appended	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(a)	Assistant Teacher (Municipal) Laboratory	18 years	35 years	Higher Secondary in science subject with minimum of 50% marks (or its equivalent) and 2 years diploma in Primary Education (to whom so ever named it called)	
(b)	Assistant Teacher (Municipal) Urdu	18 years	35 years	Higher Secondary Certificate Examination with minimum of 50% marks with subject of Urdu or Higher Secondary Certificate Examination with minimum of 50% marks and Adib-e-Mahir Certificate from Jamia-Urdu-Aligarh, and 2 years diploma in Primary Education (to whom so ever named it called) and teacher eligibility test (TET) passed	Commissioner or Chief Municipal Officer, as the case may be, with approval of the Mayor-in-Council or the President-in-Council
(c)	Assistant Teacher (Municipal) Physical Education	18 years	35 years	Higher Secondary Certificate Examination with minimum of 50% marks and a certificate of Physical Education from any recognized Institute	

Note- (1) All kinds of relaxation provided by the Government of Chhattisgarh, General Administration Department, from time to time for appointment in Government service regarding age limit shall also be applicable for Shikshak (Municipal) Cadre. Under the informal Education Scheme, the Supervisors/ Instructors having worked in Chhattisgarh shall get Additional relaxation of 15 years in maximum age limit in recruitment against the post of Assistant Teachers (Municipal).

(2) Preferences given by the State Government for appointment to Special Backward Tribes shall also be applicable.

(3) There shall be fill up atleast 30% posts by Science faculty from sanctioned posts of any one Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat in the case of Assistant Teachers (Municipal).

(4) For appointment or Lecturer (Municipal) and Teacher (Municipal) detail particular in respect of equivalency mentioned in prescribed educational qualification are shown in Annexure.

(5) Educational qualification of the applicant for direct recruitment on merit basis of Teacher (Municipal) Cadre i.e. basis of marks obtained in 10th, 12th, Graduation, Post-Graduation and B.Ed./ D.Ed. shall be given preference:-

(i) For appointment of Assistant Teacher (Municipal), 20 marks on the percentage of marks obtained in class 10th, 50 marks on the percentage of marks obtained in class 12th, 15 marks of the percentage of marks obtained in B.Ed/D.Ed and 15 marks on the percentage of marks obtained in T.E.T.

(ii) For appointment of Teacher (Municipal), 20 marks on the percentage of marks obtained in class 12th, 50 marks on the percentage of marks obtained in Graduation, 15 marks on the percentage of marks obtained in B.Ed and 15 marks on the percentage of marks obtained in T.E.T. however, those applicants who have passed the four years Integrated Education Course shall be assigned 65 marks on the percentage of total marks obtained instead of separate marks obtained in Graduation or B.Ed.

SCHEDULE- IV
[See Rule 9]

Sl. No.	Name of posts from which promotion is to be made	Name of post on which promotion is to be made	Eligibility and experience for promotion	Member of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Teacher (Municipal)	Lecturer (Municipal)	Minimum required educational qualification for Lecturer (Municipal) as per enclosed Annexure and experience of teaching minimum 7 years on the same post.	1- Nominee, not below the rank of Deputy Director, nominated by Joint Director/ Deputy Director for the region, Directorate of Urban Administration and Development - **Chairman** 2- District Education Officer / Assistant Commissioner, Tribal Welfare - **Member** 3- Commissioner / Chief Municipal Officer of the Municipality concerned– **Member-Secretary**
2.	Assistant Teacher (Municipal)	Teacher (Municipal)	Minimum required educational qualification for Teacher (Municipal) as per enclosed Annexure and experience of teaching minimum 7 years on the same post.	

Note- If the incumbent Municipal Commissioner is an Officer of the Indian Administrative Service, he may nominate the senior-most Class-I Officer of the Municipal Corporation as a Member-Secretary.

ANNEXURE

Prescribed Educational Qualification for Lecturer (Municipal), Teacher (Municipal) and Assistant Teacher (Municipal) and particular about Equivalency

(A) Minimum Qualification for Lecturer (Municipal):-

Educational and Professional Qualification: - Post-graduate Degree in any one subject from following subjects from any recognized University/Institute and degree of B.Ed:-

Sl. No.	Subject	Group of Subject
1.	English	English
2.	Hindi	Hindi
3.	Physics	Physics/Electronics/Applied Physics/ Nuclear Physics
4.	Chemistry	Chemistry/ Biochemistry
5.	Economics	Economics/ Applied Economics/ Business Economics
6.	Commerce	Commerce including Accountancy/ Cost Accounting/Financial Accountancy as a Main Subject
7.	Mathematics	Mathematics/ Applied Mathematics
8.	Biology	Botany/ Zoology/Anthropology/Biology/ Genetics/ Microbiology/Biotechnology/Molecular Biology/ Plant psychology or a subject at graduate level.
9.	Geography	Geography
10.	Sociology	Sociology
11.	Psychology	Psychology
12.	Home Science	Home Science
13.	Agriculture	Agriculture
14.	Business Mathematics	Business Mathematics
15.	Computer Science	B.E./B.Tech. (Computer Science/ Information Technology) or B.E./ B. Tech. (any Branch) with at least 50% and post graduate Diploma in computers from a recognized University
16.	History	History/ Indian Ancient History
17.	Political Science	Political Science/ Public Administration
18.	Sanskrit	M.A. Sanskrit/ M.A. (Classics)/ Masters Degree in Sanskrit (Acharya)

(B) Minimum Qualification for Teacher (Municipal):-

Educational and Professional Qualification:- Following qualification from any recognized University/Institution:-

(a) Graduation and two-years diploma in Elementary Education (by whatever known)

OR

Graduation with minimum50% marks and one-year degree in educational science (B.Ed.)

OR

Graduation with minimum 45% marks and one-year degree in educational science (B.Ed.), which should be in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition, Standards and Procedure) Regulations, 2009 as amended, from time to time.

OR

Higher Secondary (or its equivalent) with minimum 50% marks and 4 years bachelor in elementary education (B.EL.Ed.)

OR

Higher Secondary (or its equivalent) with minimum 50% marks and 4 years bachelor in B.A (Ed.) / B.Sc (Ed.) or / B.A (Ed.) / B.Sc (Ed.)

OR

Graduation with minimum 50% marks and one year B.Ed. (Special Education).

(b) Pass in Teacher Eligibility Test (T.E.T.) to be conducted by the appropriate Government in accordance with the guidelines issued by the National Council for Teacher Education for this purpose.

(c) Graduation Subjects in above graduation degree shall be as follows :-

Sl. No	Subject	Subject Group
(1)	(2)	(3)
1.	English	English Literature as a subject at graduate level.
2.	Hindi	Hindi Literature as a subject at graduate level
3.	Social Science	Any two subject- History, Geography, Economics and Political Science, from any one of them, subject Geography or History will be compulsory.
4.	Science	Chemistry, Biochemistry, Pharmacy, Botany, Zoology, Military Science and Geology, Graduation in Engineering.
5.	Sanskrit	Sanskrit Literature as a subject at Graduate level or B.A. (Classics) or bachelor degree in Sanskrit
6.	Mathematics	With Mathematics any two of the following Subjects:- Physics/ Chemistry/Electronics/Computer Science/ Statistics, Military Science and Geology **Or** Graduate in Engineering i.e. B.E./ B.Tech.
7.	Librarian	Degree in Library Science from any recognized Institution or Graduation and one year Diploma in Library Science.

(C) Minimum Qualification for Assistant Teacher (Municipal):-

(1) Higher Secondary (or its equivalent) with minimum 50% marks and degree in 4 years Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

Higher Secondary with minimum 45% marks (or its equivalent) and which must have been obtained in accordance with National Council for Teacher Education (Recognition, Standards and Procedure) Regulations, 2002

OR

Higher Secondary (or its equivalent) with minimum 50% marks

OR

Higher Secondary (or its equivalent) with minimum 50% marks and two years diploma in Education Science (Special Education)

AND

(2) Passed in Teacher Eligibility Test (T.E.T.) to be conducted by the appropriate Government in accordance with the guidelines issued by the National Council for Teacher Education for this purpose.

Note-

1. Reservation Policy:- Relaxation upto 5% in the qualification marks shall be given to the candidates belonging to reserved categories such as Scheduled Castes / Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Physically Disabled.

2. Relaxation in minimum educational qualification:- If in the appointment of Assistant Teacher (Municipal) and Teacher (Municipal) D.Ed. and B.Ed. holder candidates are not available then the following relaxation will be given:-

   (a) For appointment to teach in class I to VIII, two year diploma in Elementary Education Science (by whatever name known)

   (b) For appointment to teach in class VI to VIII, one year degree in Elementary Education Science (by whatever name known)

   Above relaxations shall be effective upto 31st March, 2014. Due to such relaxation, appointed Teacher (Municipal) Cadre employees has to gain minimum qualification within two years of their appointment.

2-A If no B.Ed. degree holder candidates are available to be appointed on the post of Lecturer (Panchayat) then in the case relaxation may be given, but such candidates shall have to obtain the degree in B.Ed. course within 3 years from the date of their appointment.

3. Minimum Marks obtained in Teacher Eligibility Test (T.E.T.):-

(a) Higher Secondary or equivalent the applicants should get minimum 60% marks to teach Class I to Class V.

(b) Graduate applicants should get minimum 60% marks to teach Class VI to VIII.

(c) For Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Physically Disabled applicants of Higher Secondary (or equivalent) and graduate candidates should get 50% marks.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.